कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) विशिष्ट श्रेणी कोटा (राज0)

क्रमांक : /2022–23/3791 दिनांक : 19-12-22

श्रीमान उप वन संरक्षक
नयापुरा, कोटा।

विषय :– Land for Extension of Bhamashah Krishi Upaj Mandi Samiti Rajasthan (Proposal No. FD/RJ/Others/20036/2016)

संदर्भ :– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, झालना, जयपुर का पत्रांक एफ. 14(105/10)2016/एफसीए/प्रमुवसं/3993–95 दिनांक 29.11.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, झालना, जयपुर द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न : 03 किता

(जवाहर लाल नागर)
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
(अनाज) कोटा

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति विशिष्ट श्रेणी (अनाज) कोटा

क्रमांक :- 3792 दिनांक :- 19-12-22

सेवा में,

उप वन संरक्षक,

नयापुरा, कोटा

प्रसंग :- F-14 ( )2015/FCA/PCCF/CCFBDS-1Jaipur dated 29.11.2022 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :- LAND FOR EXTENTION OF BHAMASHAH KRISHI MANDI SAMITI

यूजर एजेन्सी का नाम :- KRISHI UPAJ MANDI SAMITY KOTA

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :- 96.00 Hac.

प्रस्तावित जिला एवं वनमण्डल :- Kota District and kota Division

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :- FP/RJ/Others/20036/2016 29.06.2016

1	बिन्दु संख्या 2 की पालना के क्रम में पार्ट ।। में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन करने वाले अधिकारियों के नाम अंकित कर दिये गये है। किन्तु उप वन संरक्षक द्वारा वन अधिनियम 1980 की मार्ग दर्शिका 2019 के पैरा 1.21 के अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न नहीं की गई है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
2	बिन्दु संख्या 4 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में एन0एफ0एल0 भूमि पर प्रचलित मॉडल की प्रति लगाया जाकर क्षतिपूर्ति योजना संलग्न की गई है। प्राप्त गैर वन भूमि पर 110 पौधे लगाया जाना संभव नहीं है। अतः एन0एफ0एल0 भूमि पर कितने पौधे लगाया जाना है, यह स्पष्ट नहीं है। अतः लगाये जाने वाले 96000 पौधो के अनुसार योजना बनाई जाकर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
3	बिन्दु संख्या 5 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में 6 कि0मी0 नवीन दीवार एवं 2 कि0मी0 पुरानी दीवार की राशि हेतु यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न कर दी गई है। किन्तु प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा की रिपोर्ट अनुसार 3314 र0मी0 दीवार का नुकसान होना है। तदनुसार टिप्पणी अपेक्षित है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
4	बिन्दु संख्या 6 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में गैर वन भूमि मॉडल अनुसार योजना संलग्न की गई है। किन्तु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में निर्धारित प्रपत्र में योजना संलग्न नहीं है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
5	बिन्दु 7 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में पारिभाषित वन भूमि मॉडल अनुसार योजना संलग्न की गई है। किन्तु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में निर्धारित प्रपत्र में योजना संलग्न नहीं की गई है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।

6	बिन्दु 9 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में संशोधित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट दो वर्ष पुरानी है। अतः नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
7	बिन्दु 10 की पालना के क्रम में मुख्य वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाईन संलग्न नहीं है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
8	बिन्दु संख्या 12 की पालना के क्रम में मुख्य वन संरक्षक द्वारा अभिशंषा ऑनलाईन संलग्न नहीं है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
9	मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा दिनांक 20.04.2018 को प्रेषित रिपोर्ट में उक्त क्षेत्र सी0ई0सी0 द्वारा अन्य एफ0सी0ए0 के प्रकरण में ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये गये थे। अतः इस क्रम में सी0ई0सी0 के उक्त बिन्दु पर छूट प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रस्ताव अग्रेषित करने हेतु लिखा गया था। उक्त बिन्दु पर कार्यवाही अभी भी अपेक्षित है।	उक्त बिन्दु पर छूट पाने हेतु प्रधान मुख्य वन सरंक्षक की अनुशंषा हेतु पत्र संलग्न कर दिया गया है।
10	लागत लाभ विश्लेषण भारत सरकार के नवीन निर्देशों एवं नवीन दरों पर नहीं बनाया गया है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
11	उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि गैर वन भूमि में कितने पौधे लग पायेगे एवं शेष पौधो को कहां लगाया जावेगा एवं उसकी स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
12	प्रकरण में 1998 में एफ0आई0आर0 काटी हुई है, जिसका वर्तमान स्थिति क्या है, पूछा जाना प्रंस्तावित है।	उपरोक्त उप वन संरक्षक कोटा से संबंधित है।
13	यूजर एजेन्सी द्वारा पार्ट । में मात्र अनन्तपुरा में 96 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन को प्रस्तावित की गई है, जबकि उक्त भूमि अनन्तपुरा में 72.34 है0 एवं उम्मेदगंज में 23. 66 है0 वन भूमि प्रस्तावित है। तदनुसार संशोधन अपेक्षित है।	उपरोक्त संशोधित कर संलग्न कर दी गई है।
14	प्रस्ताव में गैर वन भूमि दो ग्रामों गुरायता में 74 है0 एवं बोरीनाखुर्द में 22 है0 प्रदान की गई है। अतः पार्ट । के बिन्दु संख्या एल0 में तदनुसार संशोधन प्रस्तावित है।	प्रस्ताव में गैर वन भूमि दो ग्रामों गुरायता में 74 है0 एवं बोरीनाखुर्द में 22 है0 की सीमा एक दूसरे से लगे होने के कारण उक्त के पार्ट । में के0एम0एल0 फाईल डीजीपीएस मेप जीटीसी एक साथ बनाकर संलग्न किया गया है।

(जवाहर लाल नागर)
सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) विशिष्ट श्रेणी कोटा (राज0)

क्रमांक : /2022–23/3788

दिनांक : 19.12.2022

श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अरण्य भवन, झालना, जयपुर
द्वारा श्रीमान उप वन संरक्षक, कोटा

विषय :– प्रस्तावित भूमि को ग्रीन बेल्ट से हटाकर अन्यत्र हस्तान्तरित करने के क्रम में।
संदर्भ :– भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति के 96 हैक्ट0 वन भूमि के डायवर्जन प्रस्ताव के क्रम में आपका पत्रांक एफपी/आरजे/Others/20036/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख कर निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा कोटा के भामाशाह कृषि मण्डी के विस्तार हेतु मण्डी से लगी हुई वन भूमि में से 96 हैक्ट0 भूमि के डायवर्जन प्रस्तुत प्रस्तुत किये है, जिसके मुख्य कारण निम्न है :–

1. मण्डी का निर्माण लगभग 30–35 वर्ष पूर्व हुआ था। तब भूमि की आवश्यकता नहीं थी और 25 वर्षो तक मण्डी सुचारू रूप से चलती आ रही है।
2. परन्तु विगत 10 वर्षो से व्यापारियों के यहां नीलामी में आने वाली कृषि जिन्सों की मात्रा कई गुणा बढ़ गई है और कृषकों के पास अपने स्वयं के ट्रेक्टर आ जाने से एवं सड़के अच्छी हो जाने से मण्डी में दूर–दूर से किसान अपने साधनों से यथा ट्रेक्टर मय ट्रॉली, ट्रकों से राजस्थान, मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश से अपना माल बेचने हेतु आने लग गये है, जिससे स्थान व सडके कम पडने लग गई है।
3. यद्यपि प्रशासन द्वारा व्यवस्था का पूरा प्रयास किया जाता है। परन्तु भारी मात्रा में साधनों की आवक होने से आस–पास के औद्योगिक इकाईयां व मण्डी बन्द हो जाती है और कभी–कभी तीन–चार दिन तक मण्डी में जगह नहीं होने से गेट बन्द किये जाने से 10 किमी. क्षेत्र में जाम लगा देते है और स्थानीय प्रशासन व मण्डी प्रशासन मजबूर हो जाता है। व्यापारियों एवं औद्योगिक इकाईयों के मालिकों ने मण्डी प्रशासन को वन भूमि के प्रस्ताव को भेजने का सुझाव दिये जाने के क्रम में 96 हैक्ट0 वन भूमि के प्रस्ताव विचाराधीन है।

जब उक्त प्रस्ताव को डीएफओ साहब कोटा के यहां भेजा गया तब जांच में पता चला कि उक्त भूमि सीईसी द्वारा ग्रीन बेल्ट हेतु निर्देशित की गई है। इस बाबत पूर्व डीएफओ एवं वर्तमान डीएफओ साहब द्वारा जांच में पाया कि यहां कि चट्टानी भूमि होने से वृक्षारोपण संभव नहीं है।

अतः इस पत्र के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय मिट्टी गेटिव मेर्जस कमेटी के यहां प्रस्तुत कराकर इस भूमि को मुक्त कराकर इसके स्थान पर अन्यत्र वन भूमि पर ग्रीन बेल्ट डवलप करने के आदेश कराकर अनुग्रहित करें।

5/09

(जवाहर लाल नागर)
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
(अनाज) कोटा